भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 863
दिनांक 23 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ियों का सुधार

863. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ियों के मौजूदा ढांचे और कार्यकरण में सुधार करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने के लिए कोई सेवाकालीन पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : आंगनवाड़ी केंद्रों को दुरस्त करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए समय-समय पर विभिन्न/अनेकों कदम उठाए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में सुविधाओं के अपग्रेडेशन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रमीण विकास और पंचायती राज मंत्रालयों द्वारा देश भर में 4 लाख एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं (आईसीडीएस स्कीम) के अभिसरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत संशोधित संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ii. स्वच्छता एक्शन योजना के तहत प्रत्येक एडब्ल्यूसी को पीने के पानी के लिए 10000 रुपये और शौचालय सुविधाओं के लिए प्रत्येक एडब्ल्यूसी को 12000 रुपये दिए जाते हैं।
iii. पानी फिल्टर, फर्नीचर, उपकरणों आदि की खरीद के लिए अनुदान मंजूर किए जाते हैं।
iv. सक्षम/निपुण सेवा वितरण के लिए आंगनवाड़ी कर्मियों को स्मार्ट फोन दिए गए हैं।
v. विभिन्न पहलुओं जैसे कि गुणवत्ता आश्वासन, ड्यूटी होल्डर्स की भूमिकाएं और उत्तरदायित्वों, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणा और डाटा प्रबंधन का एकीकरण और पोषण ट्रैकर के माध्यम से निरीक्षण को शामिल करते हुए पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, निपुणता/दक्षता और जवाबदेही के लिए 13.01.2021 को सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश जारी किए गए।

(ग) और (घ) : आंगनवाड़ी सेवा स्कीम में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में सेवा वितरण सुधार में फ्रंटलाइन कर्मियों की प्रभावशीलता बहुत अधिक निर्भर करता है। स्कीम की शुरुआत से ही, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यकर्ताओं/कर्मियों के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण रणनीति तैयार कर ली है। कर्मियों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 26 कार्य दिवस के लिए जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है। इस नौकरी प्रशिक्षण के दौरान, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की विभिन्न अधिनियमों, महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों, जीवंत

आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, आरंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा गतिविधियां संचालित करना, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण देखभाल, सामुदायिक लामबंदी, जागरूकता, वकालत एवं आईईसी एडब्ल्यूसी का प्रबंधन और आंगनवाड़ी केंद्रों में निरीक्षित अभ्यास के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान, समझ और कुशलता को विकसित किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, देश भर में एक मजबूत आईसीटी सक्षम प्लेटफॉर्म, पोषण ट्रैकर, एमडबल्यूसीडी के तहत बनाया, विकसित और कार्यान्वित किया गया है। पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लीकेशन आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के सेवा वितरण (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और संपूर्ण लाभार्थी प्रबंधन की गतिविधियों का 360 डिग्री दृष्टिकोण प्रदान करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर एसपीवी को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता देने और नए पोषण ट्रैकर ऐप और इसके कार्य से संबंधित डाउनलोडिंग समस्याओं के साथ ही क्षेत्रीय कर्मियों को इनपुट आधारित प्रशिक्षण देने को सुलझाने का कार्य सौंपा गया है। एप्लीकेशन के सुचारू संचालन के लिए सीएससी-एसपीवी से राज्य-वार नोडल व्यक्ति की पहचान की गई है।

****